(67)

COURT FEE Rs.20 INDIA TWENTY RUPEES

समक्ष- माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश
= =

पुनरीक्षण क्रमांक- निग -3121-I-16 सन् 2016

1. माणिकलाल कुशवाहा पिता अर्जुन कुशवाहा उम्र 47 वर्ष
2. नन्दू पिता अर्जुन कुशवाहा उम्र 48 वर्ष

दोनों निवासी ग्राम बडामलहरा तहसील बडामलहरा

जिला छतरपुर म.प्र. ..पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

1. रियाज खाँ तनय नूर खाँ मुसलमान

निवासी ग्राम महुआझाला तह. बिजावर

जिला छतरपुर म. प्र.

2. राज्य शासन म.प्र. .. गैर पुनरीक्षणकर्ता

द्वारा जिला कलेक्टर, छतरपुर म. प्र.

विनोद भार्गव अभिभाषक 12-9-16

नकल 12-9-16

विनोद भार्गव एडवोकेट ग्वालियर 12-09-2016

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू रा. संहिता.

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश दिनांक 22. 07. 16, प्रकरण क्रं. 11/अ-12/2015-16 न्यायालय तहसीलदार तहसील बडामलहरा जिला छतरपुर म. प्र. रियाज खाँ बनाम म. प्र. शासन वगैरह

महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता सादर निवेदन करते है:-

1. यह कि जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष म. प्र. शासन के रूप में था । विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक रियाज खाँ के द्वारा एक आवेदन पत्र भूमि क्र. नं. 250 को रकबा 1.991 है. भूमि स्थित ग्राम बडामलहरा के सीमांकन बाबत् प्रस्तुत किया था जिसमें निगरानीकर्तागण को पक्षकार नहीं बनाया गया है व निगरानीकर्तागण को बिना कोई सूचना दिये सीमांकन के प्रपत्र तैयार होने को जानकारी होने पर पुनरीक्षणकर्तागण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लिखित आपत्ति प्रस्तुत की थी कि आपत्तिकर्तागण को सूचित किए बिना फर्जी सीमांकन प्रपत्र तैयार किये गये है किंतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष द्वारा आपत्ति पर कोई सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये बिना आदेश दिनांक 22. 07. 16 के द्वारा सीमांकन के लिए

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1321-एक/2016

जिला छतरपुर

माणिकलाल विरूद्ध रियाज व म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री अमित भार्गव एवं शासकीय अभिभाषक श्री आशीष सारास्वत उपस्थित। 3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार बडमलहरा जिला छतरपुर के सीमांकन आदेश दिनांक 22-07-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 22-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के.जैन) 27.12.18. सदस्य	